सम्मेलन के प्रस्तावों का मसौदा

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

तृतीय वार्षिक सम्मेलन

२१ से २५ मई, १९७५ / सन्मुखानंद हाल, बम्बई

प्रस्तावों की सूची

संख्या **प्रस्ताव**

१. शोक प्रस्ताव
२. शहीदों की बाबत
३. चिली की बाबत
४. नागालैंड और मिजोरम की बाबत
५. सिक्किम की बाबत
६. आपत्कालीन स्थिति, भारत रक्षा नियम और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के वापस लिये जाने की बाबत
७. बिहार की बाबत
८. बेरोजगारी की बाबत
९. जाली इंडेक्स को बाबत
१०. अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की बाबत
११. समान काम के लिये समान वेतन की बाबत
१२. रेल मजदूरों की बाबत
१३. केन्द्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों से एकता की बाबत
१४. किसान आन्दोलन से एकता की बाबत
१५. बीड़ी और सिगार अधिनियम को लागू न करने की बाबत
१६. राजस्थान में सी.आई.टी.यू. के सात कार्यकर्त्ताओं की उम्र कैद की बाबत
१७. डाक्टरों और इंजीनियरों के संघर्षों के साथ एकता की बाबत
१८. बोनस रिव्यू कमैटी की रिपोर्ट की बाबत
१९. भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक की बाबत
२०. मजदूरों के ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों पर दमन की बाबत
२१. वेतनजाम अधिनियम की वापसी की बाबत
२२. रेयन उद्योग के रासायनिक जहरीलेपन पर दी गई रिपोर्ट लागू न करने की बाबत
२३. अनाज की कमी और अकाल

नोट : मुद्रण में असावधानी के कारण हम प्रस्तावों के साथ उनकी संख्या नहीं दे सके अतः यहाँ **संख्या सहित प्रस्तावों की सूची** दी जा रही है।—स[illegible]

शोक प्रस्ताव

एर्नाकुलम में सीटू के पिछले सम्मेलन के बाद ट्रेड यूनियन और जनवादी आन्दोलन के जो नेता और सक्रिय कार्यकर्ता मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनके प्रति सीटू का यह तीसरा सम्मेलन गहरा दुःख व्यक्त करता है। यह सम्मेलन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य, हमारे देश के कम्युनिस्ट आन्दोलन के महान अग्रदूत और ट्रेड यूनियन तथा किसान-आन्दोलन के निर्माता आदरणीय कामरेड मुजफ्फर अहमद की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

यह सम्मेलन कामरेड हरेकृष्ण कोङ्गार की यादगार में श्रद्धांजलि अर्पित करता है जोकि कम्यूनिस्ट आंदोलन के महान नेता, भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य और अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी थे।

वह सम्मेलन केन्द्रीय कर्मचारियों के महान नायक और ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी नेता कामरेड के० जी० बोस के निधन पर शोक व्यक्त करता है।

यह सम्मेलन सी० आई० टी० यू० की दिल्ली राज्य कमेटी के सदस्य कामरेड चंद्रशेखर, सी० आई० टी० यू० की जनरल काउंसिल के सदस्य कामरेड के० आई० राजन, भिलाई में हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाईज यूनियन के वर्किंग प्रेसिडेंट कामरेड ज्ञान और आंध्र प्रदेश की सी० आई० टी० यू० कमेटी के सदस्य कामरेड सुनकन्ना की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है।

सम्मेलन संकल्प करता है कि दिवंगत साथी अपने जीवन-काल में जो काम अधूरा छोड़ गये हैं उसे पूरा किया जायेगा।

शहीदों की बाबत

सी० आई० टी० यू० का तीसरा सम्मेलन उन शहीदों की यादगार में श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने पिछले सम्मेलन के

बाद मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं।

इन शहीदों में से कुछ पुलिस की गोली का निशाना बने और कुछ कांग्रेस द्वारा भाड़े पर रखे गये गुंडों द्वारा मार डाले गये।

दिल्ली के कामरेड तिलकराज, केरल के कामरेड शंकरन और भास्करन, दुर्गापुर के कामरेड रंजन विस्वास और अजित दे, रानीगंज के कामरेड रोबिन सेन, कामरेड मंसूर अली, कामरड निखिल बोस और कामरेड मिलन चक्रवर्ती, महाराष्ट्र के कामरेड तिलकधारी, मदुराई के कामरेड रामास्वामी, भरतपुर के कामरेड विजयसिंह, कामरेड किशनलाल वर्मा और कामरेड गणपतिसिंह तथा विभिन्न राज्यों के अन्य अनेक योद्धाओं को यह सम्मेलन लाल सलाम देता है।

यह सम्मेलन संकल्प करता है कि इन शहीदों ने अपनी जानें जिस-जिस पवित्र कार्य के लिए न्योछावर की हैं उसे पूरा किया जायगा।

चिली की बाबत

सी० आई० टी० यू० का तीसरा सम्मेलन चिली की उस बहादुर जनता से पूरी एकता का इजहार करता है जोकि चिली की फासिस्ट सैनिक जुनटा और उसके हिमायती अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अदभुत साहस का परिचय देते हुए अपने संघष को आगे बढ़ा रही है।

अमरीकी हितों को बचाए रखने की गरज से सी आई ए ने चिली में प्रतिक्रांति करने वाली इस फासिस्ट सैनिक जुनटा का समर्थन किया था। आज चिली में वहां के लोगों की नागरिक स्वतन्त्रताओं और जनवादी अधिकारों का बर्बर दमन किया जा रहा हैं, सैकड़ों कम्यूनिस्टों और क्रांतिकारियों को सताया जा रहा है, कम्यूनिस्ट पार्टी के सचिव जेल में अपनी मौत का इतंजार कर रहे हैं, ट्रैडयुनियन तथा जनवादी संगठनों को बेरहमी से कुचला जा रहा है, हजारों आजादी पसंद लोग जेलो के अमानवीय माहौल मे सड रहे है और पाशविक यत्रणाए झेल रहे हैं।

चिली का अनुभव यह जाहिर करता है कि वियतनाम में अपनी शर्मनाक शिकस्त के बाद भी अमरीकी साम्राज्याद ने न तो अन्य देशों में प्रतिक्रांति कराने का अपना रवैया छोड़ा है और न दुनियां पर हुक्म चलाने के उसके मनसूबे में ही कमी आयी है।

इस अनुभव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शांतिपूर्ण समाजवादी संक्रमण की बात कितनी खोखली है।

सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन तमाम दुनियां के जनवादी और आजादी पसंद अवाम की आवाज में आवाज मिला अमरीकी साम्राज्यवाद के उन गुनाहों की तीव्र निंदा करता है जो वहाँ फासिस्ट सैनिक जुनटा की सांठ-गांठ से किए जा रहे हैं और वह मांग करता है कि चिली में नागरिक स्वतन्त्रताओं और जनवादी अधिकारों को स्थापना फौरन की जाय तथा वतमान शासन द्वारा गिरफ्तार किये गये सभी लोगों को फौरन रिहा किया जाय।

यह सम्मेलन श्रमिक वर्ग से और तमाम जनवादी भारतीयों से यह मांग करता है कि तमाम देश में चिली की जनता से भारतीय जनता की एकता का इजहार करने वाला आन्दोलन चलाया जाय और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को लगातार आगे बढ़ाया जाये।

सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन प्रेसिडेंट अलिन्दे और चिली के अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और यह दृढ़ विश्वास व्यक्त करता है कि आज प्रतिकूल परिस्थितियों में चलने वाला चिली की जनता का संघर्ष लगातार जोर पकड़ता जेायगा और निकट भविष्य में ही विजयी होगा और शहीदों का यह खून अवश्य रंग लायेगा। यह सम्मेलन चिली की जनता के संघर्ष का नेतृत्व करने वाली चिली की कम्यूनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का हार्दिक अभिनंदन करता है और वहां की सैनिक जुनटा से मांग करता है कि कामरेड क़ारवालो तथा अन्य नेताओं को फौरन रिहा किया जाय।

नागालैंड और मिजोरम की बाबत

सी० आई० टी० यू० का यह तीसरा सम्मेलन नागालड तथा मिजोराम की जनता के जनवादी और नागरिक अधिकारों

पर भारत सरकार के दमन और अत्याचार की निंदा करता हैं। तथाकथित 'विद्रोही' नागाओं और मिजो लोगों को शांत करने के नाम पर सरकार ने घृणित और गैर कानूनी गतिविधि (निवारक) अधिनियम नागालैंड और मिजोरम में भी लागु कर दिया है। इस तथाकथित शांतिकारी कार्यक्रम को लागु करने के लिए सेना, बी एस एफ और सी आर पी के लोगो को दमनकारी हथकंडे अपनाने की पुरी छुट दे दी गइ है, नागालैंड़ और मिजोरम के स्थानीय अखबार इन सुरक्षा सैनिकों के अभूतपूर्व दमनकारी कारनामों से भरे रहते हैं कि किस तरह विद्रोहियों को शरण देने के संदेह के नाम पर ये सुरक्षा सैनिक गांवों पर टूट पड़ते हैं, लूट-मार करते हैं- लोगों पर यंत्रणाएं देते हैं, महिलाओं पर बलात्कार और अत्याचार करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी यंत्रणाएं दी जाती है। महिलाओं की इज्जत अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है ;

इस सम्मेलन का निश्चित मत है कि अगर नागा और मिजो लोग सरकार के खिलाफ दुश्मनी पर कमर बांधने जा रहे हैं तो इसके लिए ऊनके जनवादी और नागरिक अधिकारों पर दमन और अत्याचार करने वाली सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। यहां तक कि खुद नागालैंड और मिजोरम की सरकारों नै भी इस दमनकारी नीति से काम न लेते हुए छिपे हुए नागा और मिजो विद्रोहियों से बातचीत करने की मांग की है।

यह सम्मेलन पुरजोर ढंग से मांग करता है कि गैर कानुनी गति विधी (निवारक) अधिनियम वापस लिया जाय, छिपे हुए नागा और मिजो विद्रोहियों से बातचीत शुरु की जाय ताकि राज – नीतिक समझौता संभव हो सके, जनवादी अधिकारो की सुरक्षा की जा सके और नागालैंड़ व मिजोरम की जनता की उचित इच्छाओं आकांक्षाओं को पुरा किया जा सके।

सिक्किम की बाबत

सी० आई० टी० यू० का तीसरा सम्मेलन भारत सरकार द्वारा सिक्किम को मनमाने ढंग से भारत में मिला कर देश का एक हिस्सा बनाने के निर्णय का, और इस तरह सिक्किम की जनता को अपने मामले खुद निपटाने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करने

का बिरोध करता है। यह सम्मेलन भारत सरकार से मांग करता है कि संविधान संशोधन अधिनियम को फौरन रद्द किया जाय और १९७४ के सिक्किम गवर्नमेंट एक्ट की प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाओं में इस तरह संशोधन किए जायं कि सिक्किम की जनता के अपने अंदरूनी मामलों का इन्तजाम खुद करने के लोकतान्त्रिक अधिकारों को रक्षा की जा सके।

यह सम्मेलन सिक्किम में भारतीय सेना और सी आर पी के लोगों को नियुक्त करने का कड़ा विरोध करता है क्योंकि यह सिक्किमी जनता के जनवादी अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए सीधा खतरा है। पिछले दिनों सिक्किमी छात्रों पर स आर पी के लोगों द्वारा किये गए दमन की यह सम्मेलन घोर निंदा करता है और मांग करता है कि सिक्कम सें भारतीय सेना और सी आर पी के लोगों को फौरन हटा लिया जाय।

आपत्कालीन स्थिति, भारत रक्षा नियम और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के वापस लिये जाने की बाबत

सी आई टी यू का तीसरा सम्मेलन इस बात पर अपना विरोध प्रकट करता है कि पाकिस्तान से युद्ध की समाप्ति के पांच वर्ष बाद भी भारत सरकार ने देश मे आपत्कालीन स्थिति घोषित कर रखी है और ड़ी आइ आर आज भी लागू है।

सी० आइ० टी० यू० के तीसरे सम्मेलन की दृढ मान्यता है कि शासक पार्टी के भ्रष्ट और दमनकारी शासन के बिरोध को दबान क लिए ही आपत्कालीन स्थिति और डीआइ आर को जारी रखा ज रहा है. ये दोनों एक पार्टी कीं तानाशाही कायम करने के ओजार है सबसे बडा हमला मजदुर वर्ग झेल रहा है, पिछले दिनों नगर निगम सुट और गोदो कर्मचारियों की हडतालों के खिलाफ डी आइ आर क प्रयोग किया गया, भट्टार्चाय कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ डीआइआर का प्रयोग करके लाखों मजदूरों को महंगाइ भत्ते की वाजिब रकम से वंचित किया गया, इसके अलावा ट्रेड यूनियन तथा अन्य जनवादी मोरचों पर काम करने वाले हजारों सक्रिय कार्य -

कर्त्ताओं को गैरकानूनी कानुन मीसा के अंतर्गत बिना उन पर मुकदमा चलाये जेलों में ठुंस रखा है।

मेहनतकश जनता के विरुद्ध इन तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए यह सम्मेलन भारत सरकार की कड़ी निंदा करता है।

यह सम्मेलन मांग करता है कि आपत्कालीन स्थिति, डी आई आर और मीसा को फौरन वापस लिया जाय।

यह सम्मेलन सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा अन्य जनवादी संगठनों से अपील करता है कि सब मिल कर एक शक्तिशाली सयुक्त आंदोलन का निर्माण करें और भारत सरकार को आपत्कालीन, डी आई आर और मीसा को वापस लेने पर मजबूर करें।

बिहार की बाबत

सी० आई टी० यू० का यह तीसरा सम्मेलन पिछले एक वर्ष से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर—जिनमें बिहार विधान सभा का भंग करना, भ्रष्टाचार उन्मुलन, गिरफ्तार लोगों की रिहाई, चुनाव सुधार, डी आई आर, मीसा तथा अन्य काले कानूनों का खात्मा आदि मांगे शामिल हैं—आंदोलन करने वाली बिहार की जनता पर अभूतपूर्व दमन का विरोध करता है।

यह सम्मेलन बिहार की जुझारू जनता को मुबारकबाद देता है कि उसने राज्य सरकार के सभी दमनकारी तरीकों का मुकाबला दिलेरी से करते हुए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया है।

सम्मेलन मांग करता है कि दमन करने वाले सभी कदम फौरन वापिस लिये जायं और सभी गिरफ्तार लोगों को फौरन रिहा किया जाय सम्मेलन यह भी मांग करता है कि बिहार विधान सभा को फौरन भंग किया जाय।

सी० आई० टी० यू० बिहार की संग्रामी जनता को यकीन दिलाता है कि उसके संघर्ष में वह पूरी तरह उसके साथ है और इसके साथ ही बिहार के मजदूर वर्ग से मांग करता है कि वह इन मांगों का समर्थन करे और इन्हें पूरा करने में अपनी भूमिका निभाये।

यह सम्मेलन बिहार की मेहनतकश जनता के अगुआ दस्तों

से जोर दे कर कहता है कि वे मेहनतकश जनता की मांगों के आधार पर एक शक्तिशाली और व्यापक आंदोलन के निर्माण में पहलकदमी करें और तमाम हिन्दुस्तान के मजदूर वर्ग से अपील करता है कि वे बिहार की संग्रामी जनता के समर्थन में एकता प्रदर्शनों का आयोजन करे और कांग्रेस पार्टी तथा कांग्रेस सरकार के दमनकारी कदमों के विरुद्ध एकजुट हो जायं।

इस सम्मेलन की धारणा है कि इस आंदोलन के नेतृत्व में जनसंघ, कांग्रेस (संगठन) आदि प्रतिक्रियावादी पार्टियों को शामिल करना जनता के दुश्मनों के हाथों में खेलना है और इससे आंदोलन को नुकसान पहुँचेगा। भ्रष्ट कांग्रेसी शासन का सही प्रगतिशील विकल्प देश की वामपंथी तथा जनवादी पार्टियों की एकता में से ही निकल सकता है।

बेरोजगारी की बाबत

सीटू का यह सम्मेलन पिछले बरसों के दौरान के जनता के सभी हिस्सों — औद्योगिक मजदूरों मध्यवर्ग के पढ़े लिखे लोगों और देहात के गरीबों में भयंकर तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करता है इस बेरोजगारी से उत्पन्न भयानक स्थिति को तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति ने और भी भयंकर बना दिया है जिसके कारण मजदूर वर्ग और देहाती जनता को अकथ्य कष्टों और बरबादी का सामना करना पड़ रहा है तथा मध्य वर्ग के पढ़े-लिखे नौजवानों में झुंझलाहट और उदासी फैल रही है

सरकार की अमानवीय अपेक्षा के कारण देश में फैली बेरोजगारी का सही अन्दाजा आज तक नहीं लग पाया है। आज देश में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या ८७ लाख से भी ऊंची पहुँच चुकी यानी पिछले सिर्फ दो सालों में १८ लाख की बढ़ोतरी हो चुकी है। इन बेरोजगारों में ४० प्रतिशत से अधिक लोग पढ़े-लिखे हैं; और सरकारी तखमीनों के मुताबिक आज देश के शहरी और देहाती इलाकों में कुल मिलाकर ४ करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं।

हमारे देहाती इलाकों में तो बेरोजगारी आसमान छू रही है जहां तीन करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार या आधे बेरोजगार हैं। जमीन से बेदखल, आमदनी के किसी भी साधन से वंचित, गरीब

किसान और खेतिहर मजदूरों का बहुमत तबाह और बरबाद हो गया है। जमीन पर भूस्वामियों की इजारेदारी के खात्मे और जमीन के नये बंटवारे से उन्हें फौरन राहत मिल सकती है। लेकिन यह पूंजीपति-भूस्वामी सरकार ऐसा करने से इनकार करती है। यह तुच्छ राहत की नकली योजनाओं की घोषणा करती है. उनके नाम पर शहरी इलाके के गरीब लोगों पर टेक्स लगाती है और देहाती लोगों की दुर्दशा का जिम्मेदार शहर की गरीब जनता को बताने की शैतानी करती है। यह सम्मेलन मांग करता है कि देहात के बेरोजगारों को नौकरियां देने की सच्ची योजनाएं बड़े पैमाने पर बनायी जायं और उन्हे पूरा करने के लिए भूस्वामियों, बड़े २ पूंजीपतियों और इजारेदारों पर टेक्स लगा कर उनसे पैसा वसूल किया जाय।

यह सम्मेलन करोड़ों बेरोजगार साथियों को चेतावनी देना चाहता है कि यह सरकार एक तरफ तो बेरोजगारों के लिए मगर के आँसू बहा रही है और बेरोजगारी को दूर करने के उपायों का शोर मचा रही है लेकिन दूसरी तरफ यही सरकार नौकरियों को खत्म करने वाले कदम भी उठा रही है। सूत और जूट उद्योग के पूंजीपतियों को आधुनिकीकरणों के लिए आर्थिक सहायता देकर, खेती के और भी ज्यादा मशीनीकरण द्वारा और देश में बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरों के उत्पादन की योजना बनाकर यह सरकार बहुत ही बड़े पैमाने पर मजदूरों की छंटनी और आज की व्यवस्था में प्राप्त नौकरियों की संभावनाओं को और भी कम करने की साजिश कर रही है। 'रोजगारदाता योजनाओं' के प्रस्ताव और पाँचवी योजना में नयी नौकरियों के लिए निश्चित धनराशि की व्यवस्था—ये सब बातें ही बातें हैं और इनसे बुनियादी समस्या हल नहीं हो सकती और इनका असली मकसद नौकरियों को खत्म करने की उस साजिश पर परदा डालना है जिसे सरकारी प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त हैं। यह सम्मेलन मांग करता है कि :

१. रोजगार के अधिकार को संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का आधारभूत अधिकार माना जाय।

२. देहाती और शहरी इलाकों के हर बेरोजगार और आधे बेरोजगार व्यक्ति का नाम लाजिमी तौर पर रोजगार दफ्तर में दर्ज किया जाय।

३. सीनियोरिटी के हिसाब से रोजगार दफ्तरों की मार्फत सभी बेरोजगारों को लाजमी तौर पर नौकरियां दी जायं।

४. देहाती और शहरी इलकों में नौकरियां देना या बेरोजगारी का आवाज देना सरकार की जिम्मेदारी माना जाय और इसके लिए भूस्वामियों और औद्योगिक इजारेदारों पर टैक्स लगा कर धन की व्यवस्था की जाय।

५ किसानों की बेदखली पर रोक लगाई जाय जमीन जोतने वालों को दे दी जाय।

६, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को सहायता और ऋण प्रदान किए जायं, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्य का विस्तार किया जाय और लाजिमी तौर पर मुफ्त प्राइमरी शिक्षा और मुफ्त सैकेन्डरी शिक्षा आरंभ की जाय।

७ छटनी, ले आफ, ताला बंदी, कारखाने को बंद करने, स्वचालन और ऐसी सभी मशीनों के प्रयोग को निषिद्ध करा दिया जाय जिनसे मजदूरों की संख्या में कमी आती है।

८. सभी औद्योगिक संस्थानों के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना अनिवार्य बनाया जाय।

यह सम्मेलन मजदूर वर्ग का ध्यान इस बात की ओर दिलाता है कि बेरोजगारों को रोजगार का हक दिलाने का संघर्ष भी मजदूरों को ही लड़ना है वर्ना ट्रेड यूनियन आंदोलन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायगा।

सम्मेलन करोड़ों बेरोजगारों से मांग करता है कि वे एकजुट होकर ऊपर की मांगों के लिए लड़ें और अपने आंदोलन को बुनियादी सामाजिक परिवर्तन लाने वाले देश में जनवादी आंदोलन की व्यापक धारा में मिला दें क्योंकि इस समस्या का वास्तविक और स्थायी हल इसी सूरत से निकल सकता है। यह सम्मेलन तुम्हें यह चेतावनी भी देता है कि वे "राज्य की नौकरियां राज्य के ही निवासियों को मिलें" जैसे नारों के फेर में न पड़ें क्योंकि शासक वर्ग जनता की एकता को नष्ट करने और अपनी नापाक साजिश जारी रखने के लिए इस तरह के नारों का इस्तेमाल करते ही रहते हैं।

जाली इंडेक्स की बाबत

सीटू का यह सम्मेलन भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य-सरकारों की निर्वाह व्यय के सूचक (इंडेक्स) में धांधली करते जाने और इस तरह मजदूर वर्ग को बढ़े हुए महंगाई भत्ता पाने के अधिकार से वंचित करने की नीति की निंदा करता है।

बम्बई और अहमदाबाद में विशेषज्ञों की कमेटियों और तमिलनाडु में बिठाई गई एक गैरसरकारी कमेटी की रिपोर्टों से यह बात निर्विवाद रूप से साबित हो गयी है कि विभिन्न राज्यों में सूचक तैयार करते समय धांधली की जाती रही है। १९७३-७४ मे पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भट्टाचार्य कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि की गयी है।

मजदूर वर्ग के विरुद्ध शासक वर्ग के वेतनजाम अभियान में जाली सूचक एक घातक हथियार का काम देता है। जब विशेषज्ञ कमेटी अपनी रिपोर्ट में इस जालसाजी का पर्दाफाश करती है और सूचक को संशोधित करने की सिफारिश करती है तो सरकार डी. आइ.आर. और दूसरे दमनकारी हथियार मजदूर वर्ग के खिलाफ इस्तेमाल करती है। पिछले ही दिनों दिसम्बर १९७४ में पश्चिमी बंगाल सरकार ने डी.आइ.आर. के बल पर भट्टाचार्य कमीशन की उपभोक्ता मूल्य-सूची से संबद्ध सिफारिशों में धांधली की और लाखों मजदूरों को ढाई करोड़ रु० प्रति मास के न्यायसिद्ध महंगाई भत्ते से वंचित किया।

एक तरफ केंद्र और राज्य की सरकारें ट्रेड यूनियन आंदोलन की इस मांग का जमकर विरोध कर रही हैं कि मौजूदा जाली इंडेक्स को ठीक किया जाय, दूसरी तरफ केन्द्रीय सरकार ने १९७० को आधार वर्ष मान कर एक नयी उपभोक्ता मूल्य-सूची श्रृंखला शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत सरकार के श्रम विभाग द्वारा परिवार बजट पर प्रस्तुत किए गए अध्ययन भी दोषपूर्ण हैं क्योंकि परिवारों के नमूने मनमाने ढंग से चुन लिए गए हैं और उनके मामलों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की इस शर्त का भी पालन नहीं किया गया है कि इस तरह के मामलों में सभी स्तरों पर ट्रेड यूनियनों से सहयोग लेना होगा। सम्मेलन की मान्यता है कि

यह सब जान-बूझ कर किया जा रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य इस धांधली को कायम रखने और मजदूरों को उनके न्यायसिद्ध महंगाई भत्ते से वंचित करना है।

यह सम्मेलन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नयी शृंखला में भी इस धांधली का बरकरार रखने की कोशिश की कड़ी निन्दा करता है और मांग करता है कि नया शृंखला शुरू करने से पहले ये कदम उठाये जायं —(१) इंडेक्स में धांधली के प्रश्न और उसे दूर करने के तरीके सुधारने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी नियुक्त की जाय जिसमें ट्रेड यूनियनों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय। (२) सभी केन्द्रों में पहले से मौजूद शृंखला को पूरी तरह ठीक किया जाय और इस तरह जो सही इंडेक्स बने उसके हिसाब से मजदूरों को पूरा-पूरा मुआवजा दिया जाय। (३) आंकड़ों को एकत्र और संपादित करने के काम में ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदों को हर स्तर पर शामिल किया जाय। (४) ट्रेड यूनियनों को अधिकार हो कि वेटेज डाइ-ग्राम (Weightage Diagram) तैयार होने से पहले वे परिवार बजटों के अध्ययनों को जांच कर सकें। (५) इंडेक्स के संपादन का निरीक्षण करने वालों की बाकयदा एक समिति हो जिसमें ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व दिया जाय।

यह सम्मेलन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से अपील करता है कि सरकार को मनमाने ढंग से नयी शृंखला शुरू करने की कोशिश के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष करें और इस धांधली को हमेशा के लिए खत्म करने तथा मौजूदा सभी शृंखलाओं को ठीक करने पर सरकार को मजबूर करें।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की बाबत

सीटू का तीसरा सम्मेलन तमाम दुनिया की महिलाओं को सलाम देता है जिन्होंने समान स्तर, समान अवसर और गौरवपूर्ण मातृत्व के अपने हक की खातिर लगातार संघर्ष किया और जिनके संघर्ष के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् १९७५ को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया है।

आज, विकसित पूंजीवादी देशों में भी नारी समानता के स्तर को प्राप्त नहीं कर पायी है; यह श्रेय केवल समाजवादी देशों को प्राप्त

है कि वहां समाज के निर्माण में नारी को पूर्ण भागीदारी प्राप्त है और वह पूरी आजादी हासिल कर चुकी है।

यह सम्मेलन भारत में नारियों की दयनीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है। इस देश में सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवाद घातक दहेज प्रथा, जातिवाद और सामंती समाज की अन्य सारी बुराइयां आज भी मौजूद हैं और महिलाओं को आज भी पुरुषों की तुलना में हीन माना जाता है। आन्दोलन के दबाव से जो साधारण से कानून बनाये भी गये हैं उनका पालन नहीं किया जाता और सरकार इन कुरीतियों को दूर करने वाले कदम उठाने से इनकार करती रही है। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार को तनिक भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।

ऐसे हालात में अगर जनगणना की रिपोर्ट यह बताती है कि महिलाओं में से केवल १८ प्रतिशत साक्षर हैं तो इसमें हैरानी की क्या बात है।

कांग्रेस के पिछले सत्ताइस साल के शासन में रोजगार शुदा महिलाओं के हालात पहले से खराब हुए हैं। इस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के इस समझौते को लागू करने से इनकार कर दिया कि समान काम के लिए मर्दों व औरतों को समान वेतन मिलना चाहिए; चाय तथा अन्य बागानों आदि में तथा विभागीय संस्थानों में महिला-मजदूरों का इस्तेमाल इजारेदारों के मुनाफे कमाने वाले सस्ते मजदूरों के रूप में किया जाता है लेकिन इनके वेतन बोर्डों ने महिलाओं के लिए कम वेतन निर्धारित किये हैं! बागान, जूट, सूती कपड़े, खदान आदि अनेक उद्योगों में मालिकान ने महिला मजदूरों की संख्या में कमी कर दी है ताकि जच्चा कल्याण अधिनियम को लागू न किया जा सके; बीड़ी, सिगार काजू, नारियल के रेशे, और कई कुटीर उद्यागों में काम करने वाला महोला मजदूरों को किसी भी तरह के लाभ या संरक्षण प्राप्त ही नहीं है। पिछले दस वर्षों में इन उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं की तादाद में तेजी से कमी आयी है।

सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि पिछले कुछ बरसों में औरतों को इज्जत लूटने की वारदातें बहुत अधिक बढ़ गयी हैं।

बदमाशों और समाजविरोधी तत्वों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं तथा पश्चिम बंगाल और केरल में पुलिस हवालात में महिलाओं के शील भग की घटनाएं, लगातार बढ़ती ही जा रही है और सरकार इन्हें रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रही। अधिकतर घटनाओं में यही सचाई सामने आती हैं कि इस तरह की घटनाओं के लिए जम्मेदार लोगों को शासक पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। अब यह नौबत आ गयी है कि महिलायें खास कर डाक्टर, नर्स आदि नौकरपेशा महिलाएं, आजादी के साथ चल फिर तक नहीं सकती। अछूत महिलायें तो ऊंची जात के लोगों, जमीदारों पुलिसियों और नौकरशाहों की हविश का खिलौना बन कर रह गयी हैं।

यह सम्मेलन इन कुरीतियों के विरूद्ध संघर्ष करने वाली भारतीय महिलाओं को सलाम देता है और सरकार से मांग करता है कि महिलाओं के हालात सुधारने के लिए कारगर कदम उठाये जायं। सम्मेलन सी. आई. टी. यू. कोसभी यूनियनों को आदेश देता है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय महिला बर्ष मनाने अभियान में पहल कदमी करें और उनके संघर्ष को पूरा समर्थन दें। सी. आई. टी. यू. की यूनियनोंको महिला मजदूरों के मामलों अपने हाथ में लेने चाहिए और उनके पक्ष में तमाम मजदूर वर्ग को एकजुट करते हुए महिला मजदूरो की मांगों को मनवाने के लिए संयुक्त संघर्ष करना चाहिए।

यह सम्मेलन सी. आई. टी. यू. की सेक्रेटेरिएट को अधिकार देता है कि १९७५ में ही नौकर पेशा महिलाओं की समस्याओं पर एक सेमिनार का आयोजन करे ताकि उनकी नौकरी और जिन्दगी के हालात पर ठीक से रोशनी पड़ सके।

समान काम के लिए समान वेतन की बाबत

सी. आई. टी. यू. का यह तीसरा सम्मेलन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि आजादी के २७ वर्ष बाद भी महिला मजदूर अनेक प्रकार के भेद भाव से पीड़ित हैं, जिनमें वेतन सम्बन्धी भेद-भाव भी

एनसी.सी. आर. एस. से बात-चीत करने से इनकार कर दिया है और रेल-रजदूरों में फूट डालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है—इन बातों से सरकार की नीयत का पर्दाफाश हो जाता है।

यह सम्मेलन समझता है कि रेल-मजदूरों को इतने बड़े पैमाने पर सजाएं देने और उन्हें उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों से वंचित करन के पीछे सरकार का यह इरादा काम कर रहा है कि ऐसे कदमों से संपूर्ण मजदूर वर्ग में आतकं पैदा कर दिया जाय ताकि मौजूदा संकट का सारा बोझ मेहनतकश जनता के कंधों पर थोपा जा सके और वह इसका सार्थक प्रतिरोध भी न कर पाए।

यह सम्मेलन हड़ताल की तैयारी हड़ताल के दौरान और उसके बाद—विशेष रूप से कानूनी सहायता कमेटी की स्थापना द्वारा—रेल-मजदूरों के संघर्ष को अपना संघर्ष मान कर सीटू की यूनियनों ने जो भूमिका निभायी उसकी सराहना करता है। यह सम्मेलन सभी यूनिटों को आदेश देता है कि रेल मजदूरों के साथ एकता कायम करने वाली सभी गतिविधियां जारी रखें और सरकार से मांग करता है कि रेल मजदूरों को दंडित करने का सिलसिला बंद करनें और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एन. सी. सी. आर. एस. से बातचीत करें।

यह सम्मेलन गर्म जो शी के साथ रेल मजदूरों को सलाम देता है कि उन्होंने न सिर्फ दिलेरी के साथ अपना संघष चलाया बल्कि इस भीषण अत्याचार का भी दृढ़ता से मुकाबला किया और संघर्ष के बाद की प्रतिकूल परिस्थितियों का भी सामना हिम्मत से कर रहे हैं; यह सम्मेलन रेलवेकालोनियों में रहने वाली महिलाओं का हड़ताल के दौरान हर तरह की बदसलूकी और जंगलीपन का हिम्मत से सामना करने के लिए मुबारकबाद देता है; सम्मेलन रेल मजदूरों से अपील करता है कि हड़ताल की शाम को प्राप्त संपूर्ण रेल कर्मचारियों की संग्रामी एकता के प्रतीक एन सीसी आर एस को हिफाजत करें और सरकार की नीतियों के विरूद्ध अपने संघष को तेज करें। सीटू संकल्प करता है कि न्यायोचित मांगों और ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए रेल-मजदूरों के संघर्ष में वह पूरी तरह उनके साथ है।

केन्द्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों से एकता की बाबत

सी.आई.टी.यू. का यह तीसरा सम्मेलन केन्द्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को लगातार दण्डित किए जाने, उनके ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों के दमन और उनके वेतन व जीवन-स्तर पर मतबातर होने वाले हमलों के विरुद्ध गहरा रोष व्यक्त करता है।

केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा 'वर्क टु रूल' आंदोलन तथा मई १९७४ में हड़ताली रेलमज़दूरों और अपनी मांगों के समर्थन में दो दिन की हड़ताल के बाद तो भारत सरकार ने अपने ही कर्मचारियों से दुश्मनी निकालने की कसम खा ली है। अपने कर्मचारियों को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए सरकार ने सामूहिक उत्पीड़न और दण्डित करने के किसी भी उपाय को छोड़ा नहीं—इनमें बरखास्तगी मुअत्तली, सेवा-भंग और विभागीय कार्रवाई से लेकर मीसा के अंतर्गत गिरफ्तारियां तक, सभी कुछ शामिल हैं। अब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कई यूनियनों को उनकी मान्यता समाप्त करने की धमकी दी जा रही हैं।

आल इण्डिया स्टेट गवर्नमेंट इम्पाईज़ फेडरेशन के नेतृत्व में तमाम देश में संघर्ष करते हुए राज्यों के सरकारी कर्मचारियों पर पिछले दिनों किये गये हमलों को यह सम्मेलन पूरी गम्भीरता से लेता है।

आल इण्डिया फैडरेशन के अध्यक्ष कामरेड पी० एन० शुक्ल तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारियों के पाँच अन्य नेताओं को महज़ इस अपराध पर डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सचिवालय में एक बैठक का आयोजन किया था, रेल हड़ताल के समर्थन में १५ मई, १९७४ को की गयी आम हड़ताल में शरीक होने के अपराध में महाराष्ट्र राज्य के एक लाख सरकारी कर्मचारियों को सेवा-भंग का दण्ड दिया गया। हड़तालों और बंदों में भाग लेने के अपराध में पश्चिम बंगाल तथा केरल के हज़ारों राज्य- कर्मचारी सेवा-भंग तथा अन्य सजाएं भुगत रहे हैं। इन सजाओं के अलावा पश्चिम बंगाल में उन्हें शासक पार्टी के गुण्डों द्वारा धमकी, शारीरिक हमलों और डराने-धमकाने का भी सामना करना पड़ रहा है। केरल में अच्युत मेनन की सरकार तो और भी दो कदम आगे निकली और उसने नौकरी की शर्तों को

संशोधित करके हड़तालों में शरीक होने के अपराध में मुअत्तल कर्मचारियों को मिलने वाला निर्वाह-भत्ता भी बंद कर दिया।

यह सम्मेलन केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन और जीवन-स्तर पर लगातार किए जाने वाले हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है। वेतन आयोग के फारमूले के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तीन-चार किश्तें और मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें ठगा जा रहा है। उनके हिस्से में आने वाली लगभग सारी ही रकम अनिवार्य जमा और प्रोविडेंट खातों में रोक ली गई और उन्हें जो नकदी दी गई वह न के बराबर थी, हालांकि ऐसा करना अधिनियम की व्यवस्थाओं के विपरीत था।

राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन और जीवन-स्तर पर भी इसी तरह के हमले हो रहे हैं। हालांकि वे एक अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, १९७३ में दस लाख दस्तखतों वाला एक स्मरण-पत्र भी वे दे चुके हैं, ९ अप्रैल १९७४ को अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन, बोनस, महंगाई से सभी कर्मचारियों को पूरी तरह और समान रूप से बचाने वाला महंगाई भत्ते का फारमूला आदि की उनकी न्यायोचित मांगों को आज भी पूरा नहीं किया जा रहा।

सम्मेलन इस बात पर संतोष व्यक्त करता है कि केन्द्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों में एकता की भावना निरंतर बढ़ रही है और महान कुरबानियों व चमचा यूनियनों की फूटपरस्त हरकतों के बावजूद वे इन हमलों का डटकर प्रतिरोध कर रहे हैं।

इन संयुक्त संघर्षों का स्वागत करते हुए यह सम्मेलन अपने वेतन और जीवन-स्तर और ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों पर आक्रमण करने वाली सरकार के विरुद्ध केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के साथ अपनी बिरादराना एकता का इजहार करता है और संघर्ष में उनका साथ देने का संकल्प करता है।

किसान आंदोलन की एकता की बाबत

यह सम्मेलन उन करोड़ों किसानों और खेतिहर मजदूरों के साथ अपनी संपूर्ण एकता व्यक्त करता है जो तमाम देश में सच्चे भूमि-सुधारों के लिए, टैक्स में छूट और कर्जों को रद्द करने के लिए, खेती से पैदा की गयी चीजों के उचित मूल्य के लिए, उचित मजदूरी और काम के बेहतर हालात के लिए तथा अत्यधिक मात्रा में अनाज-

वसूली के खिलाफ और बेदखली व जमींदारों के गुंडों के हमलों के खिलाफ अपने संघर्ष चला रहे हैं। पश्चिमी बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में किसानों और खेतिहर मजदूरों के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों ने पिछले दिनों अपने प्राण दिये हैं, यह सम्मेलन उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

रेल हड़ताल तथा अन्य हड़तालों के दौरान रेल-मजदूरों तथा अन्य औद्योगिक मजदूरों को शरण, भोजन और धन देकर, किसानों और खेतिहर मजदूरों ने उनके संघर्ष में जो बहुमूल्य सहायता की, उसके लिए यह सम्मेलन उनकी सराहना करता है। सम्मेलन महसूस करता है कि यह सहायता इस बात का सबूत है कि शोषण और देशी पूंजीपति-जमींदार सरकार के विरुद्ध साझे संघर्ष में मेहनतकश जनता के दोनों हिस्सों—मजदूरों और किसानों—में एकता लगातार बढ़ रही है।

आज औद्योगिक मजदूर हों या दफ्तर के कर्मचारी अथवा किसान और खेतिहर मजदूर—इजारेदार और जमींदार सबका एक जैसा निर्मम शोषण कर रहे हैं। उन सभी को चीजों की कमी और अकाल, ऊंची कीमतों, काले बाजार, टैक्सों के भार, असमान वितरण और शोषण के अन्य रूपों का शिकार बनाया जा रहा है। यह सम्मेलन इस बात पर खुशी का इजहार करता है कि बढ़ती हुई कीमतों और काले बाजार के खिलाफ चलाये गये आंदोलन में किसान और खेतिहर मजदूर ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल हो कर औद्योगिक मजदूरों का साथ दे रहे हैं।

यह सम्मेलन मजदूर वर्ग से तकाजा करता है कि फसल-कटाई के वक्त अधिक मजदूरी, उचित मूल्य, काले बाजार और जमाखोरी के खिलाफ किसानों और खेतिहर मजदूरों के संघर्षों में सभी मजदूर उनका पूरा-पूरा साथ दें और इन संघर्षों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित करने वाले अभियान चलायें।

बीड़ी और सिगार अधिनियम को लागू न करने की बाबत

सी.आई.टी.यू. का यह सम्मेलन इस बात की निन्दा करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध करार दिए जाने के बावजूद १९६६ का बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स (कंडीशन आफ सर्विस) एक्ट अभी तक लागू नहीं किया गया है।

सम्मेलन इस बात को लेकर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है कि राज्य-सरकारों द्वारा इस अधिनियम को देर से लागू करने या

कतई न लागू करने के प्रयत्न जान-बूझ कर किये जा रहे हैं, ताकि अधिनियम से जो थोड़े-से लाभ मजदूरों को पहुंच सकते हैं वे भी न पहुंच सकें। कुछ राज्यों में तो वहां की सरकारों ने इस अधिनियम को लागू करने की घोषणा तक नहीं की है, जबकि कुछ अन्य राज्यों ने इससे संबंधित नियम नहीं बनाये हैं, जिसके कारण यह लागू नहीं हो सकता। जिन राज्य सरकारों को अधिनियम की घोषणा करने और उससे संबद्ध नियम बनाने पर मजबूर कर दिया गया है उन्होंने इसे लागू करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति में देर करके इसे बेकार कर दिया है। हद तो यह है कि पिछले दिनों श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिए जाने के बावजूद कि तीन महीने के अन्दर-अन्दर अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा यह अधिनियम आज तक लागू नहीं किया गया।

इस बिलंब का फायदा उठा कर मालिकान हजारों बीड़ी और सिगार मजदूरों को अपना रोजगार करने वाले व्यक्तियों की हैसियत में आने पर मजबूर कर रहे हैं ताकि उन पर यह अधिनियम लागू न हो सके।

यह अधिनियम खुद सरकार ने बनाया है और यह मजदूरों को मामूली सी राहत देने वाला कानून है। इसे लागू करने में भी नौ साल का विलंब सरकार के इस दावे को सरासर झूठा साबित कर देता है कि उसके दिल में मजदूरों के असंगठित हिस्सों का बड़ा दर्द है। इससे जाहिर हो जाता है कि सरकार का यह दावा मजदूरों के संगठित हिस्सों की जायज मांगों को ठुकराने की एक मक्कारी भरी चाल के अलावा कुछ नहीं है।

यह सम्मेलन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और अन्य राज्यों के हजारों बीड़ी तथा सिगार-मजदूरों को मुबारकबाद देता है कि उन्होंने अपने दिलेराना संघर्ष और संयुक्त व सामूहिक आंदोलन की बदौलत कर्नाटक और केरल में इस अधिनियम को लागू करा दिया और अन्य राज्यों में भी थोड़े-बहुत लाभ छीन ही लिए।

यह सम्मेलन फरवरी १९७५ में संपन्न अखिल भारतीय सम्मेलन में बीड़ी और सिगार मजदूरों की आल इंडिया कमेटी की स्थापना का स्वागत करता है क्योंकि इससे उनके संयुक्त संघर्षों में बेहतर ताल-मेल कायम किया जा सकेगा।

सम्मेलन सी.आई.टी.यू. से संबद्ध सभी यूनियनों को आदेश देता है कि इस अधिनियम को लागू कराने के लिए बीड़ी और सिगार मजदूरों के संघर्षों में जी-जान से मदद करें।

राजस्थान में सी.आई.टी.यू. के सात कार्यकर्त्ताओं को उम्र कैद की बाबत

सी.आई.टी.यू. का यह सम्मेलन सी.आई.टी.यू. से संबद्ध जे०के० सिंथेटिक्स मजदूर यूनियन के सात प्रमुख कार्यकर्ताओं—जिनमें यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी शामिल हैं—को उम्रकैद की जंगली सजा दिए जाने के विरुद्ध गहरा रोष व्यक्त करता है।

वामपंथी पार्टियों द्वारा २ मार्च १९७४ को आम हड़ताल करने के आह्वान के समर्थन में जे० के० सिंथेटिक्स के मजदूर हड़ताल पर थे और गेटमीटिंग कर रहे थे कि कंपनी द्वारा बुलाए गये किराये के हथियारबन्द गुन्डों ने उन पर हमला बोल दिया। मजदूरों ने दिलेरी से उनका सामना किया। हालांकि अनेक मजदूरों के बहुत गंभीर चोटें लगीं। अंत में गुन्डों को भागने पर मजबूर होना पड़ा लेकिन उनका एक घायल सरगना बाद में अस्पताल में मर गया। सारा कसूर तो कंपनी के प्रबन्धकों और उनके द्वारा बुलाये गये किराये के गुण्डों का था लेकिन पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कदम उठाने के बजाय अनेक मजदूरों और जे० के० सिंथेटिक्स मजदूर यूनियन की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने मजदूरों पर कत्ल का मुकद्मा चलाया जिसमें ये सजाएं दी गयीं।

सम्मेलन मांग करता है कि सी.आई.टी.यू. के इन कार्यकर्ताओं को दी गई उम्र कैद की सजा को फौरन रद्द किया जाए और मजदूरों पर हमला करने वालों को दन्ड दिया जाए। यह सम्मेलन देश के मज़दूर वर्ग और जनवादी जनता से भी मांग करता है कि इंसाफ के इस भौंडे मजाक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे और दंडित किए गये मजदूरों की फौरन और बिनाशर्त रिहाई की मांग करे।

डाक्टरों और इंजिनियरों के संघर्षों के साथ एकता की बाबत

सरकारी सेवाओं में नियुक्त डाक्टर और इंजीनियर पिछले एक साल से अधिक अरसे से अपनी बेहद जरूरी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांगों में ये मांगें भी शामिल हैं—(१) सरकार के तकनीकी चिकित्सा विभागों और राजकीय संस्थानों में तकनीकी

तथा चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति विभागाध्यक्षों के पदों पर की जाए। (२) तकनीकी चिकित्सा और प्रशासनिक सेवाओं में सभी स्तरों पर वेतन और स्तर की बराबरी कायम की जाये।

अपने-अपने संघों के नेतृत्व में डाक्टरों और इंजीनियरों ने अपने संघर्ष के दौरान तरह-तरह के कदम उठाये हैं जिसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार, दिल्ली आदि राज्यों तथा अन्य नगरों में लगातार काम पर न जाना भी शामिल है।

यह सम्मेलन राष्ट्रीय प्रगति के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डाक्टरों और इंजीनियरों की मांगों के प्रति सरकार द्वारा अपनाये गये सहानुभूतिशून्य और घोर उपेक्षापूर्ण रवैये की निंदा करता है। यह सम्मेलन भारत सरकार तथा राज्य सरकारों से मांग करता है कि डाक्टरों और इंजीनियरों की मांगों को पूरा करने के लिए फौरन कदम उठाये जाएं।

बोनस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट की बाबत

सी.आई.टी.यू. का यह सम्मेलन बोनस रिव्यू-कमेटी की प्रतिगामी सिफारिशों पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार करता है कि मजदूरों को अतिरिक्त बोनस देने के बजाए उसने मजदूरों के बोनस के अधिकार पर ही कई नये प्रतिबंध लगा दिये हैं। हालाँकि कमेटी की रिपोर्ट सर्वसम्मति से नहीं दी गयी है लेकिन बहुमत से पास की गयी ये सिफारिशें मजदूरों के कठिन संघर्ष से प्राप्त बोनस के मौजूदा अधिकार पर शैतानीपूर्ण हमला करती हैं।

कमेटी ने सवा आठ प्रतिशत बोनस देने की सिफारिश की है, जबकि एक बहुत बड़ी संख्या में मजदूर अपने संघर्षों की बदौलत दस प्रतिशत से अधिक बोनस पहले ही प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा कमेटी ने केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, जीवन बीमा निगम तथा बैंकों आदि के कर्मचारियों की शक्ल में कर्मचारियों के विशाल समुदायों को बोनस से वंचित कर दिया है। इस तरह कमेटी ने ट्रेड यूनियन आंदोलन की इस मांग को पूरी तरह ठुकरा दिया है कि नौकरी के आकार-प्रकार की परवाह किये बिना सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाए।

कमेटी ने बोनस एक्ट की धारा ३४(III) को भी अधिनियम में से निकाल देने की सिफारिश की है, जिसका मतलब होगा अपनी संगठित शक्ति के बल पर २०% से अधिक बोनस प्राप्त करने वाले

कर्मचारियों को वंचित करना। पुराने बोनस अधिनियम में मौजूदा सभी मजदूर-विरोधी व्यवस्थाओं को बोनस रिव्यू कमेटी ने ज्यों की त्यों बने रहने दिया है। पहले के खर्चे की धारणा मालिकान को भारी मुनाफे दिलाती रहेगी और मजदूरों को उनके न्यायोचित बोनस से वंचित करेगी। टैक्स बचाने की कोशिश में कंपनियां पक्के चिट्ठों में धांधली करेंगी और इस तरह मजदूरों को समुचित बोनस से वंचित किया जाएगा, जबकि मजदूरों को यह अधिकार भी नहीं होगा कि वे मालिकों के इन नकली चिट्ठों को कानूनी तौर पर चुनौती दे सकें। प्रबंधकों द्वारा दिखाये गये कुछ खर्चों पर अगर मजदूरों को शक है तो उनका ब्यौरा मांगने का भी अधिकार नहीं है।

"सेट आफ" और "सेट आन" की शैतानी-भरी धारणा मजदूरों के बोनस को घटाती रहेगी हालांकि वे उपलब्ध बचत-संबंधी मौजूदा त्रुटिपूर्ण फारमूले के हिसाब से भी कहीं अधिक बोनस के हकदार बनते हैं।

यह दुहराते हुए कि बोनस बाद में मिलने वाले वेतन का ही एक रूप है, सी.आई.टी.यू. ये माँगें पेश करता है :

१. न्यूनतम बोनस १० प्रतिशत हो। इसके साथ ही यह व्यवस्था भी हो कि पांच बरस तक न्यूनतम बोनस में एक प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि की जायेगी।

२. कुल नफे में से अवमूल्यन खर्च निकाल कर उपलब्ध बचत निर्धारित की जाय और उसका अधिकतर हिस्सा मजदूरों को बोनस के रूप में दिया जाय।

३. मजदूरों को कंपनी के पक्के चिट्ठे के सभी पहलुओं की छानबीन करने का अधिकार हो।

४. कंपनियों को दी गयी सभी छूटें वापस ली जायं। नयी कंपनी को शुरू के सालों में मिलने वाली सभी छूटें भी समाप्त की जायं। वापस ली जायं।

५. बोनस की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित न की जाय।

६. केन्द्र और राज्यों व स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं समेत सरकारी और निजी क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाय, चाहे वे कैजुअल कर्मचारी हों या ठेके पर काम करने वाले या दूकानों के कर्मचारी हों और उनकी संस्थाएं बड़ी हों चाहे छोटी।

सी०आई०टी०यू० मजदूर वर्ग से अपील करता है कि सब मजदूर एक होकर एक शक्तिशाली देशव्यापी आंदोलन चला कर सरकार को बोनस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट को रद्द करने और ऊपर बताये गये हिसाब से मजदूरों को बोनस देने पर मजबूर करें।

यह सम्मेलन सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से एकजुट होने की अपील करता है ताकि बोनस रिव्यू कमेटी की सिफारिशों के विरुद्ध मजदूरों का आंदोलन जल्दी ही एक व्यापकतम रूप धारण कर सके।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक की बाबत

भारत के शासक वर्ग ने लोगों में दहशत फैलाने, जनता की आलोचना को बेअसर बनाने और प्रशासन को कानून की व्यवस्था की गिरफ्त से बाहर निकालने की गरज से एक और कदम उठाया है—भारतीय दंड संहिता विधेयक।

विधेयक में राजद्रोह और दंगों के लिए ज्यादा कड़े दंडों की व्यवस्था है ताकि सरकार की आलोचना करने वालों का मुंह बंद किया जा सके और सभा सम्मेलनों का सिलसिला ठंडा पड़ जाय। राजद्रोह की परिभाषा को इतना व्यापक बना दिया गया है कि न सिर्फ सरकार के विरुद्ध लोगों में विद्रोह की भावना जगाना, बल्कि संविधान, संसद, विधान मंडल गरज कि समूचे ढाँचे के खिलाफ लोगों में विद्रोह की भावना पैदा करना अब राजद्रोह हो गया है। एक नये अपराध—दंगे की तैयारी—की कल्पना की गयी है ताकि इसकी आड़ में बेईमान प्रशासन को किसी भी व्यापक ट्रेड यूनियन संघर्ष पर हमला करने और उसकी तैयारी में लगे लोगों को धर पकड़ने को खुली छूट मिल सके। जिन धरनों और घिरावों के खिलाफ शासक वर्ग के अखबार सुबह-शाम काले होते थे अब दंड संहिता में उनके लिए समुचित दंड की व्यवस्था कर दी गयी है।

दंड संहिता की नयी दफा ७४ए के अंतर्गत उन सब लोगों को निष्कासित किया जा सकता है जो गैरकानूनी जमाव या इसी तरह के किसी अन्य उपाय द्वारा सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं और इसकी मदद से सरकारी चमचों के अलावा किसी भी जलसे-जलूस को बहुत आसानी से गैरकानूनी जमाव करार दिया जा सकता है।

इस विधेयक का सबसे काला हिस्सा वह है जिसमें इस तरह की दफाएं हैं जो तथाकथित लोक सेवाओं को—नयी परिभाषा के अनुसार संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्य भी इस श्रेणी में आते हैं—

कानून की गिरफ्त से बाहर करती हैं। अब इन सज्जन पुरुषों को अंग-भंग करने, बलात्कार और हत्या की खुली छूट है और अंजाम की परवाह किये बिना ये 'शरीफजादे' गुलछर्रे उड़ा सकते हैं।

विधेयक की दफा ३७५ए के तहत एक लोकसेवक, हिरासत में ली गयी किसी भी महिला का शील भंग कर सकता है, क्योंकि इस अपराध के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा दो साल की सजा दी जा सकती है। इसी प्रकार महिलाओं या बालकों की किसी संस्था के सभी निवासियों पर नियंत्रण रखने वाला कोई संचालक या प्रबंधक यदि किसी निवासी को संभोग के लिए मजबूर करता है तो उसके लिए केवल दो वर्ष के दंड की व्यवस्था की गयी है।

विधेयक की दफा १०३(डी) एक लोकसेवक को किसी ऐसे आदमी की जान ले लेने की ताकत देती है जो 'आम खतरे' या 'गंभीर परिणामों' के हालात में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है या ऐसी कोशिश कर रहा है। ऊपर की ये दोनों ही शर्तें अस्पष्ट हैं और इनके साथ किसी भी तरह की खींचतान मुमकिन है।

पहले, लोकसेवक को क्षति पहुंचाना तभी दंडनीय अपराध था जबकि वह अपने कर्त्तव्य का कानूनी तौर पर पालन कर रहा हो। संशोधन विधेयक में "कानूनी तौर पर" शब्द हटा दिया गया है।

सी०आई०टी०यू० तमाम हिन्दुस्तान के सारे मेहनतकश लोगों से माँग करता है कि दमन के इस नवीनतम यंत्र को ठोकर लगाएं और ऐसा ज़ोरदार आंदोलन खड़ा करें कि शासक पार्टी को इसे वापस लेने पर मजबूर होना पड़े।

मजदूरों के ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों पर दमन की बाबत

मजदूरों के ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों और निजी तथा सरकारी क्षेत्रों के प्रबन्धकों द्वारा लगातार भयंकर दमन को सी०आई०टी०यू० का यह तीसरा सम्मेलन कठोर भर्त्सना करता है।

मजदूरों के संघर्षों से घबरा कर प्रबन्धक और अधिकारीगण सामान्य ट्रेड यूनियन अधिकारों को भी कम कर रहे हैं। दुर्गापुर में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धकों ने वहाँ की मान्यता प्राप्त यूनियनों को भी दुर्गापुर में बैठक बुलाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। पिछली जूट हड़ताल के दौरान सी०आई०टी०यू० के वाइस प्रेसिडेंट कामरेड ज्योति बसु के भाषण की अनुमति पहले तो

दी गई गयी लेकिन फिर यह बहाना बनाकर कि कांग्रेस की किसी ट्रेड यूनियन ने उसी स्थान पर रैली का आयोजन करने की अनुमति पहले से ही ले रखी थी, दी गयी अनुमति रद्द कर दी गयी। राजस्थान के कोटा नगर में अणुशक्ति परियोजना के मजदूरों को सिर्फ इस अपराध पर चार्जशीट दे दी गयी कि वे एक संसद-सदस्य का भाषण सुनने एक बैठक में चले गए थे। ये कुछ घटनाएं हैं। देश में इस तरह की सैकड़ों घटनाएं रोज हो रही हैं।

हड़ताल में भाग लेने पर भी सेवा-भंग करना और वेतन काट लेना तो आम बात हो गयी है। रेलवे बोर्ड ने बदले की भावना से जिस तरह हजारों लोगों को सजाएं दी हैं, मजदूरों को डराने धमकाने के लिये दूसरे अनेक मालिकान उससे नजीर का काम ले रहे हैं।

पश्चिमी बंगाल और बिहार में ऐसे कई मामले देखने में आये जिनमें शासक पार्टी के इशारे पर ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार ने यूनियनों के अन्दरूनी मामलों में दखलंदाजी की। वार्षिक विवरण में कार्यकारिणी कमेटी के जिन सदस्यों का नामोल्लेख किया गया उन्हें समाजविरोधी तत्वों ने जबरदस्त धमकियां दीं जिसके कारण पश्चिमी बंगाल की बहुत सारी यूनियनें अपने वार्षिक विवरण पूरे करके जमा नहीं करा पायीं। ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार ने झूठे बहानों पर कई यूनियनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। बिहार में तो ट्रेड यूनियनों के अन्दरूनी मामलों में रजिस्ट्रार ने शासक पार्टी को जरूरतों के मुताबिक फैसले तक दे डाले।

राजकीय क्षेत्र की संस्थाएं इस तरह के मुस्तकिल हुक्मनामे तैयार करा रही हैं जिनका संस्थाओं के संचालन से कोई संबंध नहीं है और इस तरह मजदूरों के जनवादी अधिकार भी छीने जा रहे हैं। पुलिस-जांच कराने के शैतानीपूर्ण तरीके का इस्तेमाल ट्रेड यूनियनकार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिये अधिक से अधिक किया जा रहा है। अनेक मामले ऐसे सामने आये हैं जिनमें प्रबंधकों ने अदालतों के फैसलों को लागू करने से खुल्लमखुल्ला इनकार कर दिया है और राज्य तथा केन्द्र सरकारें तमाशबीनों की तरह देखती रह गई हैं।

ये सारे कदम जुझारू ट्रेड यूनियन आन्दोलन का दमन करके मजदूरों के मत्थे सरकार की पिट्ठू-यूनियनें मढ़ देने की गरज से उठाये जा रहे हैं।

सी०आई०टी०यू० उन ट्रेड यूनियनों तथा मजदूरों को मुबारकबाद देता है जिन्होंने इस दमन का मुकाबला किया है और सरकारों व प्रबंधकों को ये कदम वापस लेने पर मजबूर किया है।

सी०आई०टी०यू० मजदूर वर्ग का आह्वान करता है कि प्रबंधकों और सरकारों के इस हाकिलाना रवैये के विरुद्ध अपना संघर्ष तेज करें, वर्ना ट्रेड यूनियन आन्दोलन की रीढ़ ही टूट जायगी। सी०आई०टी०यू० सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करता है कि वे स्थिति की भयंकरता पर ध्यान दें और जुझारू ट्रेड यूनियन आन्दोलन का दमन करने की सरकारी साजिश को नाकाम करें।

वेतन जाम अधिनियम की वापसी की बाबत

सी०आई०टी०यू० का तीसरा सम्मेलन संपूर्ण वेतन वृद्धि और बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की आधी रकम रोक रखने वाले अतिरिक्त वेतन (अनिवार्य जमा) अधिनियम की जोरदार भर्त्सना करता है। हालांकि कहा गया था कि यह अधिनियम केवल एक साल के लिए लागू किया जा रहा है लेकिन सरकार यह तो अभी से कहने लगी है कि जुलाई १९७५ के बाद भी इसे लागू रखा जा सकता है। आज जबकि जरूरी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, इस अधिनियम ने मजदूरों के असली वेतन को बहुत ही कम कर दिया है। इस अधिनियम ने दो करोड़ से अधिक लोगों पर आफत ढायी है जिनमें राजकीय और निजी क्षेत्रों की सभी औद्योगिक संस्थाओं के मजदूर; केन्द्र और राज्य सरकारों, म्युनिसिपल कमेटियों, स्थानीय बोर्डों और व्यापारिक संस्थानों के वेतनभोगी कर्मचारी; शिक्षक, प्रोफेसर, डाक्टर तथा अन्य पेशों के कर्मचारी शामिल हैं।

एक तरफ जब कि मजदूर और ज्यादा महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि के लिए लड़ रहे हैं यह अधिनियम तेजी से बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए तो कोई कदम नहीं उठाता उल्टे मजदूरों का वेतन जाम कर देता है। सरकार ने मजदूरों के ऊपर इस हमले को इस आड़ में छिपाने की कोशिश की है कि इससे मुद्रा-प्रसार में से ५०० करोड़ रु० वापस लेकर मुद्रास्फीति को रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन सरकार ने जनता के जीवन को नरक बनाने वाले इजारेदारों, सटोरियों, जमींदारों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के मुनाफों को रत्तीभर भी कम करने की कोशिश नहीं की है, दूसरी तरफ बढ़ते हुए टैक्स, विभिन्न उद्योगों की कीमतें बढ़ाने की अनुमति,

विदेशी इजारेदार पूंजी पर निर्भरता आदि ने मिल कर मुद्रास्फीति और महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है। अर्थव्यवस्था की प्रगति अवरुद्ध होने के कारण चीजों की कमी हो जाती है और जमाखोरों को जिंदगी की जरूरी चीजों की जमाखोरी करने का मौका मिल जाता है। इन सब बातों से मजदूर वर्ग इस सच्चाई को अच्छी तरह समझ चुका है कि कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था की हर तरह की तबाही के लिए सरकार की जनविरोधी नीतियां ही मूल रूप से जिम्मेदार हैं।

इसलिए सी०आई०टी०यू० नई दिल्ली में २० अगस्त १९७४ को सम्पन्न वेतन जाम के विरुद्ध मेहनतकश जनता के आल इण्डिया कन्वेंनशन के निर्णयों का स्वागत करता है और मुद्रा-स्फीति व वेतनजाम के खात्मे के लिए मेहनतकश जनता के तेरह-सूची वैकल्पिक कार्यक्रम को पूरा-पूरा समर्थन देता है।

सी०आई०टी०यू० वेतन जाम के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान कमेटी के निर्माण का भी स्वागत करता है। इस कमेटी में केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के अतिरिक्त पचास लाख से अधिक सदस्यों वाले राष्ट्रीय फ़ैडरेशन भी शामिल हैं और इस तरह श्रमिक वर्ग एकजुट होकर मेहनतकश जनता के विरुद्ध इजारेदारों के इस आक्रमण का सामना करेगा। स्थानीय, क्षेत्रीय और राज्य के स्तरों पर आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में इस प्रश्न पर जो अभूतपूर्व एकता तमाम हिन्दुस्तान में देखने को मिली, सी०आई०टी०यू० उसकी प्रशंसा करता है। सी०आई०टी०यू० वेतन जाम के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान कमेटी के इस फैसले को पूरा पूरा समर्थन देता है कि २९ जून १९७५ को दूसरा अखिल भारतीय कन्वेंशन बुलाया जाय ताकि तमाम देश की मेहनतकश जनता के संघर्ष को तेज किया जा सके और संघर्ष का एक नया कार्यक्रम— एक दिन की हड़ताल समेत-बनाया जा सके।

सी०आई०टी०यू० सभी यूनियनों से अपील करता है कि वे मजदूरों के बीच इस कनवेंशन का जोर-शोर से प्रचार करें, ताकि वेतन जाम के विरुद्ध एक देशव्यापी शक्तिशाली आंदोलन सभी स्तरों पर चलाया जा सके और अंतिम रूप से सरकार को वेतन जाम अधिनियम वापस लेने पर मजबूर किया जा सके।

रेयन उद्योग के रासायनिक जहरीलेपन पर दी गई रिपोर्ट को लागू करने की बाबत

सी.आई.टी.यू. का यह सम्मेलन केन्द्रीय श्रममंत्री की इस अमानुषिक उपेक्षा पर रोष प्रकट करता है कि १९५८ में सरकार द्वारा बैठायी गई कमेटी की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

कमेटी ने जांच के दौरान यह पाया कि विस्कोस रेयन फैक्ट्रियों में निकलने वाली कारबन डाइसल्फाइड तथा अन्य जहरीली गैसें इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं और उन्हें हमेशा के लिए फैक्ट्री का काम करने के अयोग्य बना देती हैं। इन फैक्ट्रियों में काम के भयंकर हालात के कारण अनेक मज़दूरों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद जो सर्वे किया गया उससे पता चलता है कि इन फैक्ट्रियों के मज़दूर अन्धेपन, भूख न लगने, तपेदिक, नामरदी और इसी तरह की अन्य कई बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कमेटी की रिपोर्ट में सिफ़ारिश की गयी थी कि इन मज़दूरों से कुछ विभागों में एक दिन में पांच घण्टे काम लिया जाय। कमेटी ने मजदूरों की रक्षा के लिए अनेक क़दम उठाने की भी सिफारिश की थी।

कमेटी ने यह भी पाया कि विस्कोस रेयन फैक्ट्रियों से बहुत अधिक मात्रा में होने वाले डिस्चार्ज के कारण इनके आस-पास के इलाके में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। हालांकि इन सिफारिशों को दिये हुए १५ साल से ज्यादा हो गये लेकिन अभी तक हिन्दुस्तान की एक भी फैक्ट्री ने इन्हें लागू करने के लिए क़दम नहीं उठाये हैं और रेयन मज़दूरों के कई प्रतिवेदनों के बावजूद केन्द्र सरकार ने दोषी प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार इस मामले में इसलिए कुछ नहीं करना चाहती क्योंकि रेयन-उद्योग मुख्य रूप से देश के इजारेदार घरानों के हाथों में है।

सी०आई०टी०यू० मांग करता है कि सरकार फौरन इस बात का पता लगाये कि कमेटी की रिपोर्ट अभी तक लागू क्यों नहीं हुई और इसे लागू न करने वाले दोषी प्रबंधकों को दंडित करे।

सी०आई०टी०यू० सभी यूनियनों से अनुरोध करता है कि रेयन-मजदूरों के संघर्ष में पूरी-पूरी मदद करें ताकि अंत में सरकार और मालिकान को मजबूर होकर इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने पर मजबूर होना पड़े।

अनाज की कमी और अकाल की बाबत

त्रिपुरा तथा अन्य कई राज्यों में अकाल की स्थिति और उस के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु को लेकर गहरी चिन्ता प्रकट करता है।

हरित क्रांति और कृषि-सुधारों के हंगामों के बावजूद सचाई यह है कि देश में अनाज का उत्पादन बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है। देश में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा या तो वहीं की वहीं है या कभी-कभी पहले से भी कम हो जाती है। देश में अनाज की बेहद कमी का मूल कारण यह है कि कांग्रेस सरकार ने अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांट कर जमींदारी प्रथा को खत्म करने से इन्कार कर दिया है। पी०एल०—४८० तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बाहर के अनाज पर भरोसा करने की सरकारी नीति के कारण हमारा देश अनाज की प्राप्ति के लिए विदेशों पर ज्यादा निर्भर रहने लगा है। संसद के अन्दर और बाहर झूठे बयान देकर कांग्रेस सरकार अनाज की भयंकर स्थिति पर परदा डालने की पूरी कोशिश कर रही है। ग्रामीण इलाकों में तथाकथित राहत कार्यों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और मजदूरों को इतने वेतन नहीं देते कि वे दो वक्त का भोजन जुटा सकें। अनेक राज्यों में राशन प्रणाली पूरी तरह ठप्प हो गयी है और भारतीय खाद्य निगम पूरी तरह देश के जमींदारों की मेहरबानी पर जिंदा है। अनाज के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण के नारे के बावजूद सरकार ने व्यापारियों और जमींदारों के आगे घुटने टेक दिये हैं, क्योंकि देहाती इलाकों में कांग्रेस उन्हीं के बल-बूते पर टिकी हुई है।

सी०आई०टी०यू० मजदूर वर्ग का ध्यान इस सचाई की ओर दिलाता है कि जब तक बुनियादी कृषि-सुधार नहीं किये जाते और सारी अतिरिक्त भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को नहीं बाँटी जाती तब तक देश में अनाज के संकट की समस्या को हल करना नामुमकिन है। इसलिए मजदूर वर्ग का परम कर्तव्य हो जाता है कि वे खेतिहर मजदूरों और किसानों के जमान पर अधिकार करने और बुनियादी कृषि-सुधारों के संघर्ष में उनका पूरा-पूरा साथ दें। सी०आई०टी०यू० सरकार से मांग करता है कि जनता के लिए सभी किस्म के अनाज और दूसरी जरूरी चीजों को सस्ते भाव पर मुहैया किया जाय ताकि जनता को जिंदगी के लिए जरूरी चीजों की कमी का सामना न करना पड़े।

सी०आई०टी०यू० मजदूर-वर्ग से तकाजा करता है कि वह जनता के दूसरे हिस्सों के साथ मिल कर चले ताकि सरकार को अनाज की बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने के लिये प्रगतिशील कदम उठाने पर